राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प.13(1)प्र0सु0 / सम0 / अनु–1 / 2012 जयपुर, दिनांकः 07 जून, 2013

परिपत्र

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत आम जन के परिवाद एक ही स्थान (खिड़की) पर जमा करने की व्यवस्था के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक **09.04.2013** द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निर्मित **भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों** पर दिनांक **20.04.2013** से लोक सुनवाई सहायता केन्द्र (LSSK) स्थापित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों के बिन्दु–8 में इन केन्द्रों / अन्य संबंधित कार्यालयों की दीवारों पर राज्य सरकार द्वारा संचालित आम जन को लाभान्वित करने वाली योजनाओं / लाभार्थियों की सूचना लिखवाने (Wall Paintings) के निर्देश दिये गये हैं।

कतिपय विभागों द्वारा दीवारों पर सूचना लिखवाने (Wall Paintings) पर होने वाले व्यय के प्रभार्य के संबंध में स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन चाहा है।

इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि उक्त कार्य पर होने वाला व्यय संबंधित विभागों द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध विभागीय बजट मद अथवा उनके कार्यालय व्यय मद से किया जाना है। संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण राज्य सरकार के आदेशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(सी.के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजकीय उपक्रम / निगम / बोर्ड / मंडल, राजस्थान।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

7/6/2013

(बन्ना लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज